□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□□□□□ि□□ प्रश्□ □ख□□: 5582
26 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□ □□□□□ों □ो □□□□

5582. श्र□ □□□□□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सम्पूण देश म रैबिज़ टीकों को अत्यधिक कमी है तथा इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) गत दो वर्षों के दौरान रेबीज़ टीकों को कमी के कारण कितनी मौत सूचित को गई ह; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त टीकों को आपूर्ति करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे ह?

<u>□त्त□</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) रेबीज रोधी टीके (एआरवी) को प्राप्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया है। चूंकि रेबीज रोधी टीके को प्राप्ति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा को जाती है, उनको उपलब्धता को स्थिति संबंधी विवरण तदनुसार राज्य सरकार स्तर पर रखा जाता है और एआरवी को उपलब्धता पर कद्रीय स्तर पर कोई डाटावेस नहों रखा जाता। तथापि राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कायक्रम (एनआरसीपी) के तहत, 16 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुद्दुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश) ने रेबीज रोधी टीके (एआरवी) को कमी को सूचना दी है।

(ख): देश म पिछले दो वर्षों के दौरान रेबीज़ के कारण रिपोट को गई मृत्यु का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर है। तथापि, एआरबी को कमी के कारण मृत्यु का ब्यौरा उपलब्ध नहों है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों द्वारा सूचित एआरवी को कमी पर ध्यान दिया है और राज्यों द्वारा सूचित एआरवी को कमी को समीक्षा करने के लिए मंत्रालय म विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया था। एआरवी को किसी कमी पर सूचना उपलब्ध कराने तथा कद्रीय सरकार से आवश्यक सहायता के लिए सभी राज्यों के अनुरोध पर किया गया था। भारत के औषधि महानियंत्रक को इन राज्यों म एआरवी को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआरवी का उत्पादन करने वाली फामास्युटिकल फर्मों को निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एआरवी के इंट्राडमल रूट का उपयोग करने तथा एनिमल बाइट के शिकार लोगों के प्रबंधन के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म एआरवी को उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

□□□ग्र□

□□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र □□□ □□ 2017-18 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ हुए □त□□□□□ □□□□□

| क्र.□□ | □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र | **2017** | 2018 (□□□□□□) |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5 | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 |
| 3 | असम | 0 | 0 |
| 4 | बिहार | 2 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1 | 3 |
| 6 | गोवा | 1 | 0 |
| 7 | गुजरात | 0 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 1 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 |
| 11 | झारखंड | 8 | 0 |
| 12 | कनाटक | 15 | 23 |
| 13 | केरल | 3 | 5 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4 | 1 |
| 15 | महाराष्ट्र | 9 | 1 |
| 16 | मणिपुर | 0 | 0 |
| 17 | मेघालय | 0 | 0 |
| 18 | मिजोरम | 0 | 0 |
| 19 | नगालड | 2 | 1 |
| 20 | ओडिशा | 2 | 1 |
| 21 | पंजाब | 0 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 0 | 0 |
| 23 | सिक्किम | 0 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 3 | 0 |
| 25 | तेलंगाना | 0 | 0 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 0 |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 38 | 46 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0 | 2 |
| 32 | दादरा और नागर हवेली | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | दमन और दीव | 0 | 0 |
| 34 | दिल्ली | 12 | 13 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0* |
| 36 | पुदुच्चेरी | 0 | 0 |
| | □□ | **111** | **110** |

*अगस्त, 2019 के आंकड़ सम्मिलित नहों ह।